मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेशा राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फालान 28, शक 1931

भाग ४

विषय-सूची

- (क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक,
- (ख) (1) अध्यादेश,
- (ग) (1) प्रारूप नियम,

- (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
- (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
- (2) अन्तिम नियम.
- (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक.
- (3) संसद के अधिनियम.

भाग ४ (क) — कुछ नहीं

भाग ४ (ख) — कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

प्रारूप नियम

परिवहन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 11 मार्च 2010

सूचना

क्र. एफ-22-60-2008-आठ.—मध्यप्रदेश मोटरयान, नियम, 1994 में संधोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 138 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) तथा (ङ) तथा धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार, ऐसे

समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा, यह सूचना दी जाती है कि इस सूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी ऐसी आपित्त या सुझाव, यदि कोई हो, को प्रमुख सिचव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग, भोपाल को कक्ष क्रमांक 434, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत की जा सकेंगी

ऐसी किसी भी आपित या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने पर प्राप्त हों, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

संशोधन का प्रारूप

उक्त नियमों में, नियम 202 में, उपनियम (10) के पश्चात् निम्नलिखित नया उपनियम जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(11) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी सेवाओं जैसे तौलना, डाटा एन्ट्री, माल के लादने तथा उतारने, पार्किंग तथा ऐसी जांच चौकी पर प्रदाय की गयी अन्य सम्बद्ध सेवाओं के लिए सेवा प्रभार विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो ऐसी सीमा जांच चौकी या ऐसी अन्य चौकियों पर जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, यान के स्वामी या चालक द्वारा वहन किया जाएगा तथा विभिन्न जांच चौकियों के लिए विभिन्न सेवा प्रभार अधिसूचित किए जा सकेंगे."

NOTICE

No.F-22-60-2008-VIII.—The following draft of amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (b) and (e) of sub-section (2) of Section 138 and Section 211 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Setion 212 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on the expiry of the

30 days from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette".

Objections or suggestions, if any, may be submitted to the Principal Secretary, Government of Madhya Pradesh, Transport Department, Bhopal during the office hours at Room No. 434, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal.

Any objection or suggestion, which may be received from any persons with respect to the said draft of amendement before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules, in Rule 202, after sub-rule (10), the following new sub-rule shall be added, namely:—

"(11) The State Government may, by notification in the official Gazette, specify the service charges which shall be borne by the vehicle owner or driver at the border check post or at such other check posts, as specified in the said notification, for the services such as weighment, data-entry, loading and unloading of goods, parking and other allied services offered at such check post, and different service charges may be notified for different check posts."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विलीप राज दिवेदी. उपसचिव.